FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक जिला टोंक

प्रकरण संख्या 71..........वर्ष 2024

तहसीलदार टोंक बनाम राज्य सरकार

प्रकरण –रास्ता इन्द्राज करने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
.4.2024	तहसीलदार टोंक की ओर रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार टोंक के पत्रांक 3610 दिनांक 15.4.2021 से प्रकरण प्राप्त हुआ जिसके अनुसार ग्राम मण्डावर मे आडी गडार से देवगंज ढाणी जाने वाला रास्ता जो रिकार्ड मे दर्ज नही है, को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने हेतु रिपोर्ट /प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रस्ताव अनुसार तहसीलदार टोंक द्वारा प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के अन्तर्गत तैयार कर अभिशंषा सहित भिजवाया गया है। तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम **मण्डावर** से देवगंज ढाणी जाने वाला रास्ते मे निम्नानुसार भूमियां स्थित है।	

क्र. सं.	ख.न.	रकबा	किस्म भूमि	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा	स्वामित्व का विवरण
1	2861	1.2267	बा.1	0.0417	निजी खातेदारी
2	2865	0.5185	बा.1	0.0303	निजी खातेदारी
3	2873	0.3794	माल 3	0.0468	निजी खातेदारी
4	2872	1.1255	बा.1	0.0025	निजी खातेदारी
5	2908	1.2014	बा.1	0.1125	निजी खातेदारी
6	3614/2909	0.3667	बा.1	0.0265	निजी खातेदारी
7	3616/2909	0.3541	बा.1	0.0291	निजी खातेदारी

उक्त प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस मे हरी स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्ताव के संलग्न रिपोर्ट एवं मौका पर्चा अनुसार ग्राम **मण्डावर** का आडी गडार सें देवगंज ढाणी जाने का रास्ता जो शीट मे दर्ज नही हैं एवं उक्त रास्ता कदीमी रास्ता है तथा वर्तमान मे मौके पर चालू है, जिस पर ग्रेवल डली हुई है। उक्त रास्ता ख.न. 2861, 2865, 2873, 2872, 2908, 3614/2909, 3616/2909 मे से होकर गुजर रहा है । उक्त खसरा नंबरो मे से क्रमशः 0.0417 है0, 0.3030 है0, 04680 है0, 00250 है0, 11250 है0, 02650 है0, 0291 है0, भूमि रास्ते हेतु प्रयोग मे आ रही है। उक्त प्रस्तावित भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है। प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है साथ ही प्रस्तावित भूमि, किसी राष्ट्रीय /राज मार्ग या रेल्वे लाईन की सीमा मे नही है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि निजी खातेदारी की भूमि है। प्रस्तावित भूमि बीसलपुर कमाण्ड क्षेत्र मे नही है। प्रस्तावित खसरा नंबरो मे से रास्ते हेतु कुल 0.2844 है0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है।

प्रकरण के साथ रिपोर्ट तहसीलदार टोंक, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी संवत 2071–2074 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021)खसरा गिरदावरी आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण रास्ते से संबधित है जिसके संदर्भ मे सरकार द्वारा समय समय पर अभियान चलाये जाकर उक्त समस्याओं को निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60 मे नक्शे मे दुरूस्ती करने के प्रावधान है। काश्तकारो के सुखाचार को दृष्टिगत रखते हुए कदीमी चालू रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे अंकन का प्रावधान किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण उक्त प्रावधानो की परिधि मे होने करण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 एवं परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग दिनांक 10.8.2016 के परिपेक्ष्य मे स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उनकी रिपोर्ट मे अंकित विवरण को निर्णय का अभिन्न अंग मानते हुए प्रस्ताव अनुसार, प्रस्तावित भूमि

संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए, रास्ते हेतु प्रयोग मे आ रही खातेदारी भूमि राजस्व अभिलेखो मे गै.मु. रास्ता के रूप मे दर्ज किया जावे एवं मौके अनुसार तरमीम की जावे। निर्णय पृथक से लिखा जाकर, निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार टोंक को पत्र लिखा जावे।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज)